

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3989
4 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

इस्पात का आयात और इसका घरेलू उत्पादन

3989 डा. अशोक कुमार मित्तल :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) गत पांच वर्षों में भारत में इस्पात के कुल आयात का देश-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) गत पांच वर्षों में भारत में इस्पात के घरेलू उत्पादन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि आयातित इस्पात की गुणवत्ता, मानक आवश्यकताओं के अनुरूप हों, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) इस्पात के आयात में वृद्धि के क्या कारण हैं और मंत्रालय द्वारा घरेलू उत्पादन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): विगत पांच वर्षों के दौरान भारत में तैयार इस्पात के आयात का देश-वार और वर्ष-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख): पिछले पांच वर्षों के दौरान घरेलू कूड इस्पात उत्पादन का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

घरेलू कूड इस्पात उत्पादन	
वर्ष	मात्रा (एमएनटी में)
2019-20	109.14
2020-21	103.54
2021-22	120.29
2022-23	127.20
2023-24	144.30
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी); एमएनटी=मिलियन टन	

(ग) और (घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार देश में इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। आयात और निर्यात से संबंधित निर्णय इस्पात कंपनियों द्वारा प्रौद्योगिकी-वाणिज्यिक सोच-विचारों और बाजार की गतिशीलता के आधार पर लिए जाते हैं।

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि देश में केवल गुणवत्तायुक्त इस्पात का ही उत्पादन हो अथवा बाहर से इसका आयात किया जाए। इस दिशा में, 151 बीआईएस मानकों को अधिसूचित किया गया है और इस्पात मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) द्वारा इनको शामिल किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतिम उपयोगकर्ताओं और जनता को व्यापक स्तर पर केवल गुणवत्ता वाला इस्पात उपलब्ध कराया जाए।

सरकार ने घरेलू इस्पात उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

- (i) सरकारी अधिप्राप्ति के लिए 'मेड इन इंडिया' इस्पात को बढ़ावा देने हेतु घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति।
- (ii) पूंजीगत निवेश को आकर्षित करके देश के भीतर 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात को कम करने के लिए विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का कार्यान्वयन।

विगत पांच वर्षों के दौरान तैयार इस्पात का देश-वार और वर्ष-वार आयात

तैयार इस्पात का आयात ('000 टन)					
देश	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
अर्जेंटीना	26	7	1	0	0
ऑस्ट्रेलिया	4	2	1	0	1
ऑस्ट्रिया	13	71	9	10	52
बहरीन	10	14	5	1	3
बेल्जियम	74	56	28	33	17
ब्राज़ील	23	5	6	3	1
कनाडा	20	17	10	11	6
चीन	1207	843	833	1407	2687
चेक रिपब्लिक	2	0	1	2	4
डेनमार्क	3	2	2	1	1
फ़िनलैंड	9	5	5	7	6
फ़्रांस	56	121	58	77	15
जर्मनी	135	146	151	112	80
इंडोनेशिया	464	79	241	148	94
इटली	81	33	34	31	23
जापान	1018	560	664	841	1274
कज़ाकस्तान	3	11	1	6	0
कोरिया	2687	1947	2009	2228	2670
कुवैत	8	3	3	3	9
मलेशिया	51	42	8	20	6
नेपाल	6	6	9	59	120
नीदरलैंड	11	20	13	4	3
न्यूजीलैंड	1	1	0	1	1
ओमान	4	12	5	7	11
पोलैंड	8	5	7	6	3
पुर्तगाल	2	1	2	2	0
रोमानिया	3	1	1	2	17
रूस	71	63	55	313	53
सऊदी अरब	8	36	14	9	39
सिंगापुर	139	43	8	6	4
स्लोवेनिया	11	7	6	4	1
दक्षिण अफ़्रीका	22	15	8	5	7
स्पेन	32	20	27	21	5
स्वीडन	23	27	39	48	20
स्विट्ज़रलैंड	1	1	1	1	1
ताइवान	165	186	194	163	185
थाईलैंड	52	50	25	53	58
तुर्किये	5	8	2	3	3
यू.के.	17	11	6	5	4
यूएई	21	21	24	12	52
यूक्रेन	84	31	22	7	1
यूएसए	65	54	29	17	20
वियतनाम	86	133	75	320	737
अन्य	39	39	26	11	27
कुल	6768	4752	4669	6022	8320
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)					